



संजय गॉंधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।

Sanjay Gandhi Post Graduate Institute Of Medical Sciences

RAEBARELI ROAD, LUCKNOW-226014 (INDIA)

Phone (0522)-2668700, 2668800, 2668900 Fax-(0522)- 2668017, 2668129

पत्रांक सं० पी०जी०आई०/निदे०/पत्रा० आर०एस०डी०सं० 208/17/1165/2019 दिनांक : 14/02/2019

कार्यालय आदेश

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं० 12/2019/264/71-2-2019-पी-38/2017 दिनांक 06 फरवरी, 2019 के अनुक्रम में संस्थान के संकायी एवं गैर संकायी कार्मिकों को 7वें वेतन आयोग के अन्तर्गत प्रदत्त भत्ते एवं अन्य प्रसुविधाएँ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में अनुमन्यता की तिथि एवं दर से अनुमन्य किये जाने के एतद्वारा आदेश पारित किये जाते हैं।

2. भत्तों एवं अन्य प्रसुविधायों संबंधी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के आदेशों एवं उन आदेशों में सन्निहित आदेशों की प्रतियाँ संलग्न करते हुए, तदनुसार नियम एवं शर्तों के अनुसार भुगतान किये जाने के भी आदेश पारित किये जाते हैं।

3. उक्त शासनादेश दिनांक 06 फरवरी, 2019 में जो भत्ते अनुमन्य नहीं हैं, परन्तु उनका भुगतान अद्यतन किया जा रहा है, ऐसे भत्तों का समायोजन किये जाने के आदेश भी पारित किये जाते हैं।

संलग्नक:-

1. उ०प्र० शासनादेश 12/2019/264/71-2-2019-पी-38/2017 दिनांक 06 फरवरी, 2019 की छायाप्रति। (पृ० सं०: 01-07)
2. गैरशैक्षणिक संवर्ग के पुनरीक्षित वेतनमान संबंधी शासनादेश दिनांक 15.12.2017। (पृ० सं०: 08-16)
3. संकाय सदस्यों के पुनरीक्षित वेतनमान संबंधी शासनादेश दिनांक 27.03.2018। (पृ० सं०: 17-33)
4. अनुमन्य भत्तों की विवरणिका एवं संबंधित आदेशों की छायाप्रति। (पृ० सं०: 34-118)

(प्रो० राकेश कपूर)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर निदेशक।
- 2- अधिशासी कुलसचिव।
- 3- वित्त अधिकारी को उक्त संलग्नकों सहित।
- 4- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।
- 5- संयुक्त निदेशक (प्रशासन)।
- 6- संयुक्त निदेशक (सामग्री प्रबन्धन)।
- 7- समस्त विभागाध्यक्ष।
- 8- विभागाध्यक्ष, बी०एच०आई० को इस आशय से उपरोक्त आदेश को संस्थान की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 9- समस्त नोटिस बोर्ड।

(प्रो० राकेश कपूर)
निदेशक